संख्या-5/2017/329/क.नि.प्र./26-3-2017-18(65)98

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल,2017
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2017-18

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/746/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि रू0 72.15 लाख (रू0 बहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय हेतु निम्नलिखित मदों की कालम-3 में उल्लिखित कुल धनराशि रू0 30,06,246.00 (रू0 तीस लाख छः हजार दो सौ छियालिस मात्र) को आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि
1	2	3
01-वेतन	57,80,000.00	24,08,333.00
03-मंहगाई भत्ता	2,89,000.00	1,20,416.00
04-यात्रा व्यय	35,000.00	14,583.00
06-अन्य भत्ते	3,10,000.00	1,29,166.00
07-मानदेय	12,000.00	5,000.00
08-कार्यालय व्यय	65,000.00	27,083.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	65,000.00	27,083.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,35,000.00	56,250.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	60,000.00	25,000.00
49-चिकित्सा व्यय	1,00,000.00	41,666.00
51-वर्दी व्यय	15,000.00	6,250.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	3,49,000.00	1,45,416.00
योग-	72,15,000.00	30,06,246.00

(तीस लाख छः हजार दो सौ छियालिस मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2017/बी-1-02/746/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
उप सचिव।

<u>पृ.संख्या-5/2017/329(1)/क.नि.प्र./26-3-17 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3, उ.प्र.शासन।

6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।

7-एन.आई.सी. की प्रति।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीरजा कुरील)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।